



F-07-08

F-07-11

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

**वर्ग अनुमोदन सं. 1634 का संशोधन सहित नवीकरण/
Amendment Cum Renewal of Type Approval No.1634**

विषय/Sub:- कॉकपिट पैनल फ्लड लाइट, पार्ट सं. ओएसपीएल-0501/
"Cockpit Panel Flood Light", Part No. OSPL-0501

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स ऑपटोटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड., बेंगलूरु - 560 038, द्वारा अभिकल्पित, विकसित और उत्पादित, " कॉकपिट पैनल फ्लड लाइट " पार्ट सं. ओएसपीएल-0501, को पत्र सं. सेमिलैक/5070/टीए-1634 दिनांक 07 जनवरी 2011 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1634 जारी किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध था।

This is to state that "Cockpit Panel Flood Light" bearing the Part No: OSPL-0501 designed, developed & manufactured by M/s. Optotech Systems Pvt. Ltd., Bengaluru - 560 038, was issued with Type Approval No. 1634 vide letter No. CEMILAC/5070/TA-1634 dated: 07th Jan 2011 and was valid up to 31st December 2015.

उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1634 और उसके परिशिष्ट 'ए' में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा /

The following Amendment is effected in the subject Type Approval Nos. 1634, and its Appendix 'A'.

Wherever/ For	Read as
M/s Optotech Systems Pvt. Ltd.,	M/s Pendios Technologies Pvt. Ltd.,

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अप्रैल 2017 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा यह 31 मार्च 2022 तक वैध रहेगा बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ति नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबंधित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st April 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st March 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), (3) three months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause.

संदर्भ सं. सेमिलैक/56070/टीए-1634 दिनांक 07 जनवरी 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 4 में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

The Para four of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/56070/TA-1634, Dated: 07th January 2011 will be Amended as stated herewith.


4. अगर इस वर्ग अनुमोदन के संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

All other conditions stipulated in the type approval letter remain unaltered.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1634/1A/1R
दिनांक/Date : 13 April 2017
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856




पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)